चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनाँक : २३.०४.२०१०
सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष।
समय : मध्यान्ह १२:०० बजे

<u>उपस्थिति</u> :-

१.	**डा० जी०सी० तिवारी,** कुलपति	अध्यक्ष
२	**श्री एस०सी० मुदगल,** अपर निदेशक कोषागार,	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
३.	**श्री अभिताभ,** विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सदस्य
४.	**डा० आर० के० दीक्षित,** कृषि वैज्ञानिक, वी०-११ रावतपुर कालोनी, कानपुर	सदस्य
५.	**श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी,** अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	निदेशक कृषि उ० प्र० के प्रतिनिधि
६.	**श्री राम शिरोमणि शुक्ल,** सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, ७८१/२ डी०, बाधम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य
७.	**श्रीमती अरूणा तोमर,** सदस्य विधान सभा, ५६८, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर।	सदस्या
८.	**श्री सुरेश पचौरी (पूर्व प्रधान),** ग्राम-नौहरिका, पोस्ट-इरादत नगर, जनपद-आगरा।	सदस्य
९.	**श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी,** ग्राम-सेवरा, थाना-बरहन, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा।	सदस्य
१०.	**श्री मनोज राठी,** पलवल रोड, खैर, जनपद-अलीगढ़।	सदस्य
११.	**श्री० कमलेश कुमार रावत,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

24-4-10

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद संख्या १	:	**मा० प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०७.११.२००६ को सम्पन्न हुई १४०वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा १४०वीं बैठक दिनांक २३.०४.२०१० की कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या २	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १४०वीं बैठक दिनांक ०७.११.२००६ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** मा० प्रबन्ध मण्डल की १३६वीं बैठक दिनांक २२.०६.२००६ पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री टी०पी० दुबे के सम्बन्ध में जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन श्री दुबे द्वारा किया जाय, तत्पश्चात श्री दुबे द्वारा अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिये ज़ाने पर मा० कुलपति महोदय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका स्थानान्तरण विश्वविद्यालय में अर्थ नियन्त्रक कार्यालय से भिन्न किसी अन्यत्र कार्यालय में समकक्ष पद पर किया जाय। श्री दुबे जिन्होंने वर्तमान में दो सरकारी आवास ले रखे हैं, एक को तत्काल खाली करेंगे। विश्वविद्यालय इनके पद के अनुरूप आवास वरीयता में आवंटित करेगा।
मद संख्या ३	:	**वित्तीय वर्ष २०१०-११ में आयोजनेत्तर पक्ष में शासन द्वारा प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि तथा विश्वविद्यालय प्राप्तियों के व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ४	:	**विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ५	:	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित नेट वर्क नवीनतम शोध परियोजना "Drought tolerance in wheat : Phenotyping for adaptive mechanisms to facilitate MAS base wheat breeding" के विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

24-4-10

मद संख्या ६	:	उत्तर प्रदेष कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित एक तदर्थ शोध योजना "Evaluation of early sprouting high foliage yielding clones of mulberry and development of their cultivation technology" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ७	:	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित नवीनतम शोध परियोजना "Genetic Enhancement in Linseed through Interspecific Breeding for Alternaria blight and Bud fly Resistance" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ८	:	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजना "Genetic Alteration of Fatty Acid Compositions through Chemical Mutagenesis in Linseed (Linum usitatissimum L.)" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ९	:	Makhteshim Agan India Pvt., Ltd. Hyderabad द्वारा स्वीकृत एवं वित्त पोषित तदर्थ योजना "Integrated Management of major diseases of wheat" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १०	:	विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ११	:	सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्जीनियरिंग) वेतनमान रू० ८०००-१३५०० के पद पर चयन समिति की संस्तुतियों पर की गयी नियुक्ति का अनुमोदन। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

24-4-10

मद संख्या १२ :	**अधिष्ठाता, कृषि संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल की अनुमति से शीलबन्द लिफाफा खोला गया जिसके अनुसार अधिष्ठाता कृषि संकाय के पद के लिए श्री एच०बी० द्विवेदी को चयनित पाया गया। मा० सदस्य श्री सुरेश पचौरी एवं श्री हरेन्द्र त्यागी द्वारा यह कहा गया कि इनके मामले में विश्वविद्यालय के दुग्धशाला में जानवरों को दिया जाने वाला भूसा अधोमानक बताये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जॉच मा० मण्डलायुक्त द्वारा की जा रही है। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि श्री एच०बी० द्विवेदी की अधिष्ठाता कृषि संकाय के पद पर नियुक्ति की जाय। उक्त नियुक्ति जॉच में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।
मद संख्या १३ :	**सुरक्षा अधिकारी पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १४ :	**चिकित्सा अधिकारी (पुरूष) एवं चिकित्सा अधिकारी (महिला) पदों पर मेडिकल कन्सल्टेन्ट को नियत धनराशि पर संविदा कर्मी के रूप में रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १५ :	**डा० आर० पी० एन० सिंह, विषय वस्तु विषेशज्ञ (कृषि प्रसार) के० वी० के०, रायबरेली का चयन उ० प्र० भूमि सुधार निगम में परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हो जाने के फलस्वरूप २ वर्ष का धरण-धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १६ :	**डा० आर० के० कुशवाहा, सह-प्राध्यापक, कृषि प्रसार विभाग की नियुक्ति सदस्य उ०प्र० उच्चतर शिक्षा आयोग, इलाहाबाद के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके धरण-धारण सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १७ :	**डा० असर्फी लाल जाटव, सह-प्राध्यापक का चयन छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में प्राध्यापक लाइफ साइंस के पद पर हो जाने के फलस्वरूप २ वर्ष का धरण-धारण (लियन) दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

24-4-10

मद संख्या १८	:	**श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (हार्टीकल्चर), कृषि विज्ञान केन्द्र, दलीपनगर का पी-एच०डी० पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अध्ययन अवकाश दिनांक ०१.०३.२०१० से ३१.०८.२०१० (६ माह) तक विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १९	:	**वाहन चालकों के समय वेतनमान लागू किये जाने हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या २०	:	**प्रगति आख्या (०१ नवम्बर, २००९ से ३१ मार्च, २०१० तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रगति आख्या पर संतुष्टि व्यक्त की गई।
मद संख्या २१	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक १	:	**कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में वित्तीय वर्ष २००९-१० में कराये जा रहे विकास/रिनोवेशन एवं प्रस्तावित कार्यो के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें से कुछ का स्थलीय निरीक्षण आगामी बैठक के समय कार्यदायी संस्था को बुलाकर कराया जाय।
पूरक २	:	**कृषि संकाय के एम०एससी० पाठयक्रम के २ विभागों तथा गृह विज्ञान संकाय के १ विभाग को अन्य सभी विभागों की भांति सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को मेरिट छात्रवृत्ति देने हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
पूरक ३	:	**बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौ० महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २००८-०९ एवं वित्तीय वर्ष २००९-१० का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष २०१०-११ का अनुमानित आय-व्यय को माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
पूरक ४	:	**सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, कुलपति महोदय एवं उनकी धर्मपत्नी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया गया और सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-४२९/६७-कृशिअ-१०-४००(०६)/१० दिनांक २३ मार्च, २०१० द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गई है।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में जो भी व्यय आये उसे विश्वविद्यालय के आन्तरिक श्रोतों से वहन किया जाय एवं तत्काल प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

24-4-10

पूरक ५	:	**श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, सहायक लेखाकार, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र के सम्बन्ध में**, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लिपिक की प्रोन्नति, आदेश संख्या-सीएसयूएच-७६६/२००६ दिनाँक अगस्त २६, २००६ द्वारा किया गया, तत्पश्चात निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र के पत्रॉक-१२५८/डीआर/२०१० दिनाँक जनवरी २६, २०१० द्वारा श्री पाण्डेय को नार्प मैनपुरी के सहायक लेखाकार के रिक्त पद पर स्थानान्तारण किया गया। उक्त के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन किया जाय, तत्पश्चात श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय द्वारा अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिये जाने पर मा० कुलपति महोदय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपलब्ध समकक्ष पद पर स्थानान्तरण किया जाय।
पूरक ६	:	डा० एन०डी० सिंह, प्राध्यापक/अर्थ वनस्पति शास्त्री तिलहन के पद पर कार्यरत हैं के प्रत्यावेदन को मा० प्रबन्ध मण्डल में श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन को मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा संज्ञान में लिया गया। मा० अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गंया कि विभाग में कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापक को ही प्राध्यापक एवं अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाना न्यायसंगत है। इस संदर्भ में किसी विषय विशेषज्ञ की वाध्यता नही है। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा संज्ञान में लिया गया।

मा० प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यों द्वारा निम्नवत् सुझाव दिये गये :

१- मा० प्रबन्ध मण्डल की बैठक एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार दो माह में की जाय।

२- विश्वविद्यालय में धन उपलब्ध होने पर कम्बाइन मशीन के क्रय की कार्यवाही की जाय।

३- मा० प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में मा० सदस्य यदि किसी फार्म पर जाना चाहते हैं तो तत्काल व्यवस्था की जाय।

४- मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सदस्यों को दिये जाने वाला बैठक भत्ता रु० १०००/- के स्थान पर रु० १५००/- किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह व्यवस्था दिनाँक २३.०४.२०१० को सम्पन्न हुई १४१वीं बैठक से लागू की जाय।

५- मा० सदस्य श्री राम शिरोमणि शुक्ला द्वारा पॉच कृषि विज्ञान केन्द्र में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में डा० वी०पी० कनौजिया, कुलसचिव द्वारा दिनांक २३.०२.२०१० को जब कुलपति महोदय अवकाश पर थे तो उनके द्वारा किस प्रकार कुलपति पद के दायित्वों का निर्वहन किया गया। उक्त की जॉच हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे :

१. मा० श्री राम शिरोमणि शुक्ला।
२. मा० श्री सुरेश पचौरी।
३. मा० श्री हरेन्द्र त्यागी।
४. मा० श्री आर०के० दीक्षित।
५. मा० श्री एस०सी० मुदगल, अपर निदेशक कोषागार।
६. मा० श्री अमिताभ, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा।

24-4-10

६- मा० प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा कतिपय प्रत्यावेदन दिये गये जिसको जॉच कर निस्तारण करने के सम्बन्ध में निम्नवत् समिति का गठन किया गया :

१. मा० श्री राम शिरोमणि शुक्ला।

२. मा० श्री आर०के० दीक्षित।

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाना है :

१. श्री मन्जुल पाण्डे पुत्र श्री यू०एन० पाण्डे (विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद का प्रकरण)।

२. श्री रवीन्द्र मिश्रा पुत्र श्री ए०पी० मिश्रा (विषय वस्तु विशेषज्ञ आनुवंशिकी का प्रकरण)।

३. श्री महेश सिंह का प्रकरण।

४. श्री अतुल कुमार सिंह, शोध सहायक का प्रकरण।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

24.4.10

{डा० जी०सी० तिवारी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

24-4-10

{कमलेश कुमार रावत}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल